



## न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या -81/2013 अपील (RCMS/2013/00001)  
पंजीयन दिनांक -15.04.2013  
निर्णय दिनांक -30.10.2018

1. श्री हीरालाल पिता श्री भेरूलाल डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती मीरा बाई पत्नि श्री भेरूलाल डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

—अपीलान्टस्

### बनाम

1. श्री मगना पिता श्री उंकार डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती सोनाली मारु पत्नि श्री पीयुष मारु, निवासी 13-14 भानबाग, न्यू फतेहपुरा, उदयपुर।
3. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

—रेस्पोडेन्टस्

### उपस्थिति:-

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. श्री पन्नालाल मारु  | — वकील अपीलान्ट             |
| 2. श्री सम्पतलाल बोहरा | — वकील रेस्पोडेन्ट संख्या-2 |
| 3. श्री एन.एस.चुण्डावत | — वकील रेस्पोडेन्ट संख्या-3 |

अपील अर्न्तगत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उप  
जिला कलक्टर, गिर्वा, प्रकरण संख्या 89/1991 दिनांक 13.05.1991

### निर्णय

दिनांक 30.10.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, गिर्वा, प्रकरण संख्या 89/1991 दिनांक 13.05.1991के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या-1 श्री मगना पिता उंकार द्वारा खाता दुरस्ती का एक प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया कि मौजा रघुनाथपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 के खाता संख्या 21 आराजी नम्बर 1/11 रकबा 20 बीघा उसके नाम दर्ज थी किन्तु नवीन रेकार्ड में रघुनाथपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 के खाता संख्या 4 में आराजी नम्बर 363/283 रकबा 2.6600 हेक्टेयर भूमि ही दर्ज की गई, जो साबिक रेकार्ड के अनुसार कम है जिसे अन्य खातेदारों के नाम दर्ज कर दी गई है, अतः साबिक रकबे एवं कब्जे के अनुसार खाता दुरस्ती की कार्यवाही फरमावें।

अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गिर्वा द्वारा निर्णय दिनांक 13.05.1991 पारित कर प्रार्थी श्री मगना पिता उंकार डांगी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और तहसीलदार, गिर्वा को आदेशित किया कि मौजा रघुनाथपुरा की साबिक आराजी 1/11 रकबा 20 बीघा के अनुसार हाल राजस्व रेकार्ड में साबिक रकबे अनुसार आराजी 265 रकबा 7.900 हेक्टेयर में से 1.6600 हेक्टेयर भूमि कम करते हुए प्रार्थी श्री मगना पुत्र श्री उंकार डांगी के नाम शुद्धिकरण करने की स्वीकृति दी जाती है, तदनुसार राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने की कार्यवाही की जावें।

उक्त निर्णय दिनांक 13.05.1991 से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

उल्लेखनिय है कि उक्त निर्णय दिनांक 13.05.1991 की अनुपालना में 1.6600 हेक्टेयर भूमि को नवीन आराजी नम्बर 380/265 कायम करते हुए रेस्पोंडेंट-1 के नाम कर दी। तत्पश्चात उक्त आराजी नम्बर 380/265 की भूमि उत्तरोत्तर आगे से आगे हस्तान्तरित होते हुए रेस्पोंडेंट संख्या-2 के नाम दर्ज हुई। इस भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोंडेंट संख्या-3 प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अन्तर्गत धारा-90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही कर दिनांक 28.03.2011 को आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् रेस्पोंडेंट संख्या-3 द्वारा आवंटन पत्र जारी किए गए।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोंडेंट संख्या-2 व 3 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि आराजी संख्या 265/मीन 1 एवं 380/265 के गत सेटलमेंट में साबिक आराजी नम्बर 1/10 रकबा 36 बीघा 10 बिश्वा थे, जिसको रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा भेरूलाल, वरदा, जगन्नाथ,

खेमा, किशनलाल पिता दूदा ने 1/2 हिस्सा से एवं भेरूलाल, सवा पिता अमरा निवासीयान शोभागपुरा ने 1/2 हिस्सा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं नामान्तरण उनके नाम अंकित हुआ। गत सेटलमेंट के दौरान साबिक आराजी नम्बर 1/10 के वर्तमान आराजी नम्बर 265 रकबा 7.9000 हैक्टेयर बने एवं भूमि भेरूलाल, वरदा, जगन्नाथ, खेमा, किशनलाल पिता दूदा के नाम 1/2 हिस्सा से एवं भेरूलाल, सवा पिता अमरा निवासीयान शोभागपुरा के नाम 1/2 हिस्सा से अंकित होकर उत्तरोत्तर जमाबन्दीयों में अंकित होती रही। हाल आराजी संख्या 265 की दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 363/283 स्थित थी, जिसके खातेदार रेस्पोंडेंट संख्या-1 था। रेस्पोंडेंट संख्या-1 ने अधीनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना दिनांक 07.02.1991 को पेश किया जिसकी गलत जांच एवं एक पक्षीय रिपोर्ट पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलान्टस् एवं उसके अन्य सहखातेदार की 1.6600 हैक्टेयर भूमि रेस्पोंडेंट संख्या-1 के नाम मनमर्जी अनुसार अंकित कर दी एवं तदुपरान्त उत्तरोत्तर कार्यवाही होकर आराजी नम्बर 380/265 की भूमि उत्तरोत्तर आगे से आगे हस्तान्तरित होते हुए रेस्पोंडेंट संख्या-2 के नाम दर्ज हुई। जो वर्तमान में रेस्पोंडेंट संख्या-3 के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.05.1991 न्याय एवं विधि के अनुकूल नहीं है। आराजी संख्या 265 के तत्समय के खातेदारान पर सूचना पत्र जारी किये गये जो पूर्णतया अवैधानिक रूप से थे एवं उन सूचना पत्रों की तामिलें हुई ही नहीं थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी अनुसार तामिलें मानते हुए एक तरफा कार्यवाही कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह नहीं देखा गया कि तहसीलदार द्वारा जो जांच रिपोर्ट बनाई गई है। वह सही आधारों पर है अथवा नहीं। तहसीलदार द्वारा पक्षों का सूचना नहीं दी गई और रेस्पोंडेंट संख्या-1 को लाभ पहुंचाने की गरज से कार्यवाही करते हुए अंकित कर दिया कि आराजी संख्या 363/283 की 8 बीघा भूमि आराजी स. 265 में मिल गयी है। यदि वास्तव में ऐसा होता तो आराजी संख्या का रकबा बढ़ना था जो नहीं हुआ। हस्तगत प्रकरण में सेटलमेंट से पहले एवं बाद अपीलान्टस् एवं सहखातेदारों की भूमि में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं हुआ। यदि अपीलान्टस् एवं सहखातेदारों के नाम भूमि अधिक हो जाती तो रेस्पोंडेंट संख्या-1 के नाम भूमि दर्ज करना विधि सम्मत था, परन्तु भूमि अधिक दर्ज होने से रेस्पोंडेंट के नाम भूमि दर्ज करना अवैधानिक है। अपीलान्टस् एवं अन्य सहखातेदार का आज भी 7.900 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार अथवा पटवारी को पर्चा मौका बनाये जाने के आदेश नहीं दिये फिर भी उनके द्वारा पर्चा मौका बनाया जिससे पर्चा मौका अवैधानिक होकर पारित निर्णय काबिल निरस्त के है। प्रकरण में उत्तरोत्तर 90बी कार्यवाही होने से अपीलान्ट के अपील राईटस् समाप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया क्योंकि धारा

136 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को किसी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं था।

विद्वान वकील अपीलान्टस् द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या-2 द्वारा उक्त भूमि 8 बीघा पर कब्जा करने की कार्यवाही दिनांक 22.08.2012 के दौरान उसे उक्त आदेश की जानकारी हुई और दिनांक 24.08.2012 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, नकल दिनांक 28.08.2012 को प्राप्त होते ही अपील तैयार कर प्रस्तुत की। ऐसे मामलों में मियाद के बिन्दु पर न्यायालय को लिबरल व्यू रखते हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए मेरिटस् के आधार पर मामलों को निस्तारित किया जाना चाहिए। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु को क्षमा कर प्रकरण गुणावगुण के आधार पारित किये जाने का अनुरोध किया।

अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.05.1991 को निरस्त फरमाया जाकर आराजी संख्या 380/265 रकबा 1.6600 हैक्टेयर भूमि को अपीलान्टस् एवं अन्य सहखातेदारन के नाम पूर्वानुसार दर्ज फरमाये जाने अनुरोध किया है और अपने कथन के समर्थन निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये—AIR 1987 SC 1353, 1996 RRD 457, 1987 RRD 547, 1989 RRD 45, 1994 RRD 505, 2002 RRT (1) 414, 1998 RRD 319 (HC), 2006 RRT(2) 1112, 2012 RRD (1) 668, RRD 1994 Page 505, 2013(2) DNJ Page 725

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या-2 ने अपनी बहस में बताया कि आराजी संख्या 265 मी. रकबा 6.2400 हैक्टेयर भूमि के खातेदारा काश्तकार भेरूलाल, वरदा, जनन्नाथ, खेमराज, किशनलाल पिता दूदा 1/2 हिस्सा व दिनेशचन्द्र पिता भंवरलाल, सुन्दरलाल पिता किशनलाल का 1/4 हिस्सा, अम्बालाल, योगेन्द्र कुमार पिता डालचन्द महाजन का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था। यहा तक कि जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 में यह जमीन खातेदार भेरूलाल, वरदा, जगन्नाथ, खेमराज, किशनलाल पिता दूदा व भेरूलाल पिता अमरा तथा सवा पिता अमरा के नाम दर्ज थी। संवत् 2035 के बाद कोई जमाबन्दी नहीं बनी है। मौजा रघुनाथपुरा की जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 के खाता संख्या 21 आराजी नम्बर 1/11 रकबा 20 बीघा उसके नाम दर्ज थी किन्तु नवीन रेकार्ड में रघुनाथपुरा की जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 के खाता संख्या 4 में आराजी नम्बर 363/283 रकबा 2.6600 हेक्टेयर भूमि ही दर्ज की गई, जो साबिक रेकार्ड के अनुसार कम होने से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार, गिर्वा से रिपोर्ट मांगी गई और तहसीलदार, गिर्वा द्वारा अपनी रिपोर्ट 04.03.1991 में रेस्पोंडेंट संख्या-2 के खाते श्री भेरूलाल पिता दूदा की भूमि आराजी नम्बर 265 रकबा 7.9000 हैक्टेयर में से 1.6600 हेक्टेयर दर्ज किया जाना

उचित बताया है इसके साथ पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट भी संलग्न की गई। जिस पर केस दर्ज कर सभी खातेदारान को सूचना जारी की गई जिस पर दिनांक 28.05.1991 को लिखा गया कि प्रार्थी स्वयं उपस्थित खेमराज, किशनलाल, भेरूलाल पिता दूदा, वरदा पिता दूदा, सवा पिता अमरा, भेरूलाल पिता अमरा का सूचना पत्र भेरूलाल के पुत्र सुरेश कुमार ने व सवा की पुत्री जमना कुमारी ने लिया जो बालिग है किन्तु कोई उपस्थित नहीं। जगन्नाथ पिता दूदा का सूचना पत्र बाद तामिल प्राप्त हो चुका है किन्तु बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.05.1991 को पेश हो। दिनांक 13.05.1991 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। न्यायालय हाजा में अपीलान्ट द्वारा प्रोपर अपील पेश नहीं हुई है अपीलान्ट 7 व्यक्ति होना चाहिए परन्तु अपील केवल भेरूलाल के वारिसान अपीलान्ट 1 व 2 पेश की है इस मामले में जानबूझकर खेमराज, किशनलाल, भेरूलाल पिता दूदा, वरदा पिता दूदा, सवा पिता दूदा आदि ने कोई अपील पेश नहीं की अगर वह अपीलान्ट नहीं बन सकते है तो उन्हें रेस्पोंडेंट बनाया जाना था। परन्तु इस जानबुझकर ऐसा नहीं किया गया। भेरूलाल के लडके श्री सुरेशचन्द्र ने भी कोई अपील पेश नहीं की जबकि कानूनन अधीनस्थ न्यायालय में जो पक्षकार थे उन सबको अपील में पक्षकार बनाया जाना मेन्डेट्री है, यह अपील जानबुझकर केवल भेरूलाल के दो वारिसान ने ही पेश की है तथा अन्य सहखातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या-2 ने अपनी बहस में बताया कि इस मामले में जानबूझकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील 22 वर्षों के बाद पेश की गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी खातेदारों की तामिल हो चुकी है तथा भेरूलाल की तामिल उसके पुत्र सुरेश कुमार ने ली जो बालिग लडका है इस कारण प्रोपर तामिल हो गयी थी तथा उसके बाद भेरूलाल 18 वर्षों तक जिन्दा रहा परन्तु वह जानता था कि उसका विवादग्रस्त जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है, इस कारण उसने अपील पेश नहीं की क्योंकि उक्त जमीन पर मगना का कब्जा चला आ रहा है। भेरूलाल व अन्य सहखातेदारों ने कोई अपील नहीं की यह अपील 13.5.1991 के आदेश के विरुद्ध सन् 2012 में पेश की तथा देरी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में सभी खातेदारों की तामिल हो चुकी थी परन्तु कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था। निर्णय दिनांक 13.05.1991 की अपील 60 दिन में की जानी थी जो नहीं हुआ। इस मामले में मयाद के बिन्दु को सवप्रथम सूनकर आदेश 41 नियम 3-ए जा.दी. के अनुसार तय किया जाना चाहिए। यह अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर पेश की गई है, इस कारण इस अपील को मयाद के बिन्दु पर ही निरस्त किया जाना चाहिए। इस भूमि के सम्बन्ध में धारा 90बी की कार्यवाही हो चुकी, पट्टे जारी हो चुके, मकान बना लिये गये है। यह भूमि राजस्व रेकार्ड में यूआईटी के नाम दर्ज है, जिस दिन अपील की गई, उस दिन

यह भूमि आबादी थी व है, इस कारण राजस्व न्यायालय को इस अपील को सुनने का अधिकार नहीं है। 90बी की कार्यवाही के दौरान अखबार में आपत्तियां मांगी गई परन्तु कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से खातेदारी अधिकार सरकार के हक में सरेण्डर किये गये। भूमि के आबादी होने से अब म्यूटेशन की कोई अपील लाई नहीं होने से इसमें धारा 132, 134, 135 एवं 136 के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। आबादी जमीन पर अपना क्लेम एवं अधिकार तय किये जाने बाबत सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना होता है, ऐसी स्थिति में म्यूटेशन की अपील मेन्टेनेबल नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या-2 ने अपनी बहस में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित आदेश बिल्कुल नियमानुसार पारित किया है, यह संशोधन पूर्व की धारा 136 के तहत इन्द्राज दुरस्ती का मामला है तथा ऐसे मामलों में सेटलमेंट को सेंटलमेंट के पहले की लेटेस्ट जमाबन्दी के इन्द्राज को ही रिपीट करना होता है, उन्हें इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रेस्पोंडेंट-1 की भूमि गलत नाम दर्ज हुई इस कारण इन्द्राज दुरस्त कर उक्त जमीन को पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज की जाना आवश्यक है व उसी अनुसार सन् 1991 में कथित जमीन पुनः रेस्पोंडेंट संख्या-1 के नाम दर्ज की गई, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.05.1991 पूर्णतया नियमानुसार पारित किया गया है।

अन्त में विद्वान वकील रेस्पोंडेंट संख्या-2 ने अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.05.1991 को यथावत रखे जाने अनुरोध किया है और अपने कथन के समर्थन निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये—RRT 2012(1) P.320, DNJ 1998 Raj P. 767, RRT 2011&12 (Supp) P. 359, RRT 2015(1) P. 435, RRT 2011(1) P. 421, RBJ 2009 P. 786, RRT 2015(2) P. 961, RRT 2012(2) P-814, RBJ 2006 P. 205, RRT 2002 (1) P. 334.

विद्वान वकील रेस्पोंडेंट संख्या-3 ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा 90-बी की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया, उसमें कोई चुक भी नहीं हुई है। संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परिक्षण कर आदेश पारित किया गया जिसमें तनिक भी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया।

विद्वान वकील रेस्पोंडेंट-2 द्वारा कथन किया गया कि निर्णय दिनांक 13.05.1991 की अपील 60 दिन में की जानी थी जो नहीं हुई व निर्णय के 22 वर्षों

बाद कथित अपील पेश की गई। इस मामले में मयाद के बिन्दु को सवप्रथम सूनकर आदेश 41 नियम 3-ए जा.दी. के अनुसार तय किया जाना चाहिए। यह अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर पेश की गई है, इस कारण इस अपील को मयाद के बिन्दु पर ही निरस्त किया जाना चाहिए। मयाद के बिन्दु पर बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया जो पूर्व के पेरा में वर्णित है। हमने मयाद के बिन्दु पर वकील अपीलान्त एवं वकील रेस्पोंडेंट-2 की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी खातेदारों की तामील हो चुकी है, परन्तु कोई उपस्थित नहीं होने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 13.05.1991 पारित किया। उक्त निर्णय के 22 वर्षों उपरान्त प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई। विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा कथन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी 22.08.2012 को हुई। अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारों को तामिलें होने से उनको अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत प्रकरण की जानकारी होना प्रतीत होता है, जिसमें निर्णय दिनांक 13.05.1991 को पारित हुआ, जिससे उक्त निर्णय की जानकारी 22 वर्षों उपरान्त हो, मान्य नहीं हो सकती है। अपील निर्धारित अवधि में की जानी थी, जो 22 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई जिस हेतु दिये गये कारण न तो उचित है, न पर्याप्त है एवं न ही संतोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट किया है। वकील रेस्पोंडेंट संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत मयाद कन्डोन से सम्बन्धित न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण से सुसंगत है तथा इस प्रकरण में लगभग 22 वर्षों के असाधारण विलम्ब को कन्डोन किये जाने के लिए कोई उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है एवं अपील अपीलान्त बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के बावजूद प्रश्नगत अपील में तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर भी मनन किया गया। तहत के अभिलेख अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पत्र दिनांक 11.02.1991 से तहसील से जांच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, गिर्वा द्वारा दिनांक 04.03.1991 को रिपोर्ट की गई जिसके अनुसार मौजा रघुनाथपुरा की साबिक आराजी 1/11 रकबा 20 बीघा भूमि श्री मगना पुत्र श्री उंकार डांगी के खाते दर्ज थी जिसके हाल नम्बर 363/283 रकबा 2.6600 हेक्टेयर भूमि ही उसके नाम दर्ज की गई। शेष भूमि 1.6600 हेक्टेयर आ.न. 265 रकबा 7.9000 हेक्टेयर में सम्मिलित हो गई है जो कि श्री भेरूलाल पिता दुदा आदि के खाते दर्ज हो गई है किन्तु उक्त भूमि पर श्री मगना का ही कब्जा है। पूर्व रकबे अनुसार आराजी नम्बर 265 रकबा 1.6600 हेक्टेयर भूमि कम कर श्री मगना के नाम दर्ज किया जाना उचित है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना आधार पर साबिक रेकार्ड में परिवर्तन किया गया, जिसका उनको अधिकार नहीं था। उक्त परिस्थितियों, तहसीलदार, गिर्वा की रिपोर्ट एवं तथ्यों के परिक्षण उपरान्त अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.05.1991 पारित किया गया। उक्त निर्णय उपरान्त रेस्पोंडेंट संख्या-3 नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अन्तर्गत धारा-90बी की कार्यवाही नियमानुसार संधारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गिर्वा द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं।

प्रश्नगत अपील निर्णय दिनांक 13.05.1991 के 22 वर्षों के उपरान्त असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस हेतु दिये गये कारण न तो उचित है, न पर्याप्त है। उक्त आराजीयात की भूमि उत्तरोत्तर आगे से आगे विक्रय हुई और वर्तमान में आबादी भूमि होकर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज है एवं नगर विकास प्रन्यास द्वारा पट्टे जारी किये जा चुके हैं। अपीलान्त आबादी भूमि पर हक एवं अधिकार तय करने बाबत सक्षम न्यायालय में नियमानुसार वाद प्रस्तुत करें।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गिर्वा का निर्णय दिनांक 13.05.1991 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( भवानी सिंह देथा )  
संभागीय आयुक्त,  
उदयपुर